

बालिका बालश्रम चुनौतियाँ और समाधान

हेमलता कुम्पावत

एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग

स.पू.चौ.रा. महाविद्यालय अजमेर

शोध सार

समकालीन अन्तराष्ट्रीय परिदृश्य में बालश्रम समस्या एवं मानवाधिकार का विषय संवेदनशील रूप से परिलक्षित हुआ है। जब सामाजिक एवं राजनीतिक सुविधाओं से वंचित बालक बचपन की स्वाभाविक गतिविधियों से दूर होकर 14 वर्ष से कम आयु में ही श्रम करने लगते हैं, तो उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। गरीबी, अपेक्षा विकृत सामाजिक संरचना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो बालश्रम विशेषकर बालिका श्रम को एक जटिल एवं भयावह समस्या के रूप में परिलक्षित करते हैं। बालिका श्रम के कारण बालिकाओं को शारीरिक व मानसिक शोषण का शिकार बालक श्रमिकों की अपेक्षा ज्यादा सहन करना पड़ता है। चूंकि समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न दर्जे की है, वह शक्तिहीन और विकास से वंचित होने के साथ-साथ निर्धनता से पीड़ित और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से शोषित भी है। यही कारण है कि बालिका श्रमिकों को अल्पायु में कार्य करने हेतु मजबूर ही नहीं किया जाता है वरन उन्हें बालक श्रमिकों की अपेक्षा कम मजदूरी में अधिक कार्य करना पड़ता है।

संकेताक्षर – बालिका बाल श्रमिक, कानूनी प्रावधान, शोषण, गैर सरकारी संगठन

प्रस्तावना –

बालिका बाल श्रमिक से तात्पर्य है जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। अतः स्पष्ट है कि बालिका श्रम सामाजिक सांस्कृतिक एवं लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई है। यह बालिकाओं के संदर्भ में गंभीर और संवेदनशील स्वरूप धारण कर लेती है। बालिकाओं को परिवार, समाज एवं कार्यस्थल तीनों स्थानों पर न केवल लैंगिक असमानता और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है, वरन शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व आराम के पल सुरक्षा के साथ शारीरिक और

मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बालिका बालश्रम के कारण बालिकाओं के न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है वरन समाज और देश के विकास में भी बाधा पहुंचती है।

बालिका बाल श्रमिक की विशेषताएँ –

सामाजिक रूप से भारत में बालिका बालश्रम की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यद्यपि बालिका बालश्रम के जनगणना आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी सामान्यतः ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का प्रतिशत अन्य वर्ग की बालिकाओं की तुलना में अधिक था।

जे.के. लिटन अनुप के. करण एवं अनुप के. संत्यपंथी ने कार्य करने वाली बालिका बाल श्रमिकों को निम्न पांच समूहों में विभक्त किया है।

- प्रथम समूह में वे बालिकाएँ आती हैं जो अपनी एवं अपने परिवार की आय एवं जीवनयापन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से श्रम बाजार से जुड़ी रहती हैं।
- दूसरे समूह में वे बालिकाएँ आती हैं जो अपने ही घर में रहकर अथवा घर के आसपास रहकर कार्य करती हैं और अनौपचारिक विद्यालयों में भी पढ़ती हैं जैसे बीड़ी बनाना, गोटा पत्ती, लेस लगाना, कालीन बनाना आदि।
- तीसरी एवं चतुर्थ समूह में वे बालिकाएँ हैं, जो विद्यालय जाती हैं और तत्पश्चात् घरेलू अथवा अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती हैं जैसे घरेलू कार्य, कृषि कार्य पशुपालन कार्य व अन्य ।
- पाँचवें समूह की बालिकाएँ विद्यालय जाती हैं और आर्थिक क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों में बिल्कुल संलग्न नहीं रहती हैं अर्थात् ऐसी बालिकाएँ आर्थिक लाभ हेतु कार्य नहीं करती हैं।

बालिक बालश्रम से सम्बन्धित एक आमधारणा यह है कि यह अल्पविकसित अथवा गरीब देश में ही पाया जाता है। उपर्युक्त धारणा बालिका बालश्रम के संदर्भ में निराधार है। बालिका बालश्रम गरीब देशों के साथ-साथ विकसित देश में भी पाया जाता है।

इसी प्रकार यह कहना कि गरीबी कम होने पर बालिका बालश्रम समाप्त हो जाता है भी गलत है क्योंकि गरीबी कम होने पर माता-पिता अपने बालक बाल श्रमिकों को तो विद्यालय भेज देते हैं, किन्तु बालिकाओं को अन्यत्र कार्य पर नहीं भेज देते हैं।

इसी प्रकार पारिवारिक एवं सामाजिक अपेक्षाएँ, मान्यताएँ एवं परंपराएँ भी बालिकाओं को बालश्रम की ओर धकेलती है, वैसे भी बालिकाओं और महिलाओं के लिए सीमित अवसर और सुरक्षा का अभाव भी होता ही है।

बालिका बालश्रम के प्रमुख प्रकार –

बालिका बालश्रम की समस्या सामाजिक एवं नैतिक रूप से उनके भविष्य को अन्धकारमय ही नहीं बनाती है वरन उनके शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास में भी बाधक बनती है। बालिका बालश्रम के कई प्रकार हैं यह स्वरूप, कार्यक्षेत्र, जोखिम एवं शोषण की तीव्रता के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

- घरेलू बालिका बाल श्रमिक :- बालिका अल्पायु में ही घर के छोटे-छोटे कार्यों के साथ आय अर्जन हेतु अन्य घरों में भी घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करती हैं।
- कृषि क्षेत्र में बालिका श्रम :- ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका श्रम कृषि कार्यों जैसे खेतों की बुआई, निराई एवं कटाई जैसे कार्यों के साथ पशुओं की देखभाल उन्हें जंगलों में चराने जाना, उन्हें चारा-पानी देना आदि कार्यों में लगा रहता है।
- घरेलू लघु एवं कुटीर उद्योगों में बालिका श्रम :- बालिका बालश्रम आय अर्जन हेतु घरों अथवा लघु व कुटीर उद्योगों में ही किये जाने वाले कार्यों में भी लगा रहता है। जैसे घर पर ही बीड़ी बनाना, कालीन निर्माण, गोटा पत्ती लगाना, कढ़ाई-सिलाई करना, अगरबत्ती बनाना, थैले बनाना आदि।
- भवन निर्माण कार्य में बालिका श्रम :- परिवार की गरीबी के कारण कई बार बालिकाओं को घरेलू कार्य नहीं मिलने के कारण भवन निर्माण, सड़क निर्माण व बिल्डिंग निर्माण जैसी जगह भी कार्य करना पड़ता है। जैसे निर्माण कार्यों में ईंट, बजरी, सीमेंट ढोना, पानी लाना व अन्य कार्य करना आदि सम्मिलित है।

- दुकानों, होटल एवं ढाबों पर कार्य करना :— गरीबी के कारण बालिका बाल श्रमिकों को कई बार होटल व ढाबों पर बर्तन धोने, सफाई करने व ग्राहकों की सेवा करने के कार्य कम वेतन पर अधिक समय तक करने पड़ते हैं।
- मानव तस्करी एवं बालिका श्रम :— यह बालिका बालश्रम का सर्वाधिक अमानवीय पहलू है जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की गरीब बालिकाओं को कार्य दिलाने के बहाने से ठेकेदार द्वारा उनके माता-पिता को विश्वास में लेकर अथवा पैसों का प्रलोभन देकर अन्यत्र स्थान पर लाया जाता है और वहां बालिकाओं से न केवल लम्बे समय तक जबरदस्ती अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कराया जाता है, वरन उनका शारीरिक शोषण भी आम बात होती है।
- भीख मांगना, कचरा बीनना आदि :— कुछ बालिकाएं कचरा बीनकर अथवा रद्दी छांटकर उन्हें बेचने का कार्य भी करती हैं और जब यह कार्य नहीं मिलता है तो वे भीख मांगने का कार्य भी करती हैं।

उपर्युक्त प्रकारों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, बालक बाल श्रमिकों की अपेक्षा बालिका बालश्रमिक के समक्ष ज्यादा चुनौतियां हैं जिनका उन्हें हर कदम पर सामना करना पड़ता है।

बालिका बालश्रम के कारण —

- गरीबी एवं बालश्रम :— जब एक बालिका का गरीब परिवार जो एक सामान्य जीवन स्तर से नीचे जीवनयापन करते हैं तो उनके श्रमिक बनने की संभावना बढ़ जाती है।
- जनसंख्या की अधिकता :— जनसंख्या वृद्धि बालिका श्रम के प्रभावी एवं उत्तरदायी कारणों में से एक है। दोनों में सापेक्ष संबंध दृष्टिगोचर होता है। परिवार में बालकों की अधिक संख्या होने के कारण बालिका अल्पायु में ही समस्त घरेलू कार्य करने, भाई-बहनों की देखभाल करने एवं अन्य कार्य करने में वयस्त हो जाती है और जब परिवार में गरीबी बढ़ती है तो बालिका को अन्य घरों में घरेलू सहायक के रूप में कार्य करने भेज दिया जाता है।

- बालिका बाल श्रमिक का आसानी से कार्य सीखना :— कुछ व्यवसाय जिनमें बालिका आसानी से कार्य सीख लेती है जैसे स्प्रेंग पेंटिंग, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कालीन उद्योग, चाय के बागानों आदि का कार्य बालिका श्रमिक आसानी से सीख लेती है।
- बालिका बाल श्रमिक का सस्ता होना :— वयस्क व्यक्ति की तुलना में यह बालिका श्रम न केवल सस्ता होता है वरन आसानी से प्राप्त भी हो जाता है।
- बालिका श्रमिक की मोलभाव की शक्ति का कम होना :— बालिका श्रमिक की श्रम के बदले में मिलने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने अथवा मोलभाव की शक्ति का या तो उसका मालिक तय करता है अथवा उनके पिता तय करते हैं।
- उत्पादकों द्वारा ऋण या अग्रिम सरलता से देना :— जब बालिका के माता-पिता अपनी आवश्यकतानुसार ठेकेदार अथवा नियोक्ता या उत्पादक से अग्रिम धन ले लेते हैं। इस कारण बालिका के अभिभावक अपनी बालिका को उनके दबाव में आकर आसानी से उनके साथ भेज देते हैं
- ठेकेदार द्वारा झूठे प्रलोभन देना :— कई बार ठेकेदार द्वारा माता-पिता को झूठे प्रलोभन दिये जाते हैं कि वे आपकी बालिका को घरेलू कार्य अथवा कार्य कराने के अतिरिक्त पढ़ाई भी करवायेंगे और उनसे एक निश्चित समय तक ही कार्य करवाएँगे अनपढ़ माता-पिता उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपनी बालिका श्रमिक को आसानी से उसके साथ भेज देते हैं।
- संघर्ष या युद्ध की स्थिति :— अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार युद्ध एवं संघर्ष के कारण आधे से अधिक लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण कई बालिकाएँ बाल शोषण एवं अन्य कई प्रकार के शोषण का सामना करती हैं।
- लैंगिक भेदभाव :— बालिका बाल श्रमिक का एक मुख्य कारण समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव एवं लड़कियों के प्रति नकारात्मक भेदभाव भी है। समाज में माता-पिता बालकों को तो विद्यालय भेज देते हैं, उसकी शिक्षा पर भी व्यय करते हैं किन्तु बालिकाओं को अल्पायु में ही घरेलू कार्य करने की आदत डाल देते हैं और बाद में उस पारिवारिक आर्थिक अर्जन हेतु अन्यत्र भी भेज देते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि विकृत सामाजिक, आर्थिक ढांचे की बनावट, अशिक्षा, गरीबी, बेकारी निम्न जीवन स्तर लिंगभेद समाज एवं परिवार की मानसिकता आदि बालिका बाल श्रमिक के प्रमुख कारण है।

बालिका बालश्रम के दुष्प्रभाव –

बालिका बाल श्रमिक का बचपन काम के बोझ तले दबकर रह जाता है, उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है और अपने आपको सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्तरों पर समझौता करना पड़ता है जिससे उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है और उसमें सामाजिक असंतोष, ग्लानि व अपराध की भावना उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार उसका बचपन विभिन्न बीमारियों व उपेक्षाओं के कारण कार्यरूपी भट्टी में जलकर राख हो जाता है। बालिका बालश्रम के दूरगामी प्रभाव होते हैं जो इस प्रकार

- शारीरिक प्रभाव :— अल्पायु में ही श्रम करने के कारण बालिकाओं का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। उनके अंग विशेष पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी अंगुलियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करने से उनके हाथ-पैरों में जकड़न एवं टेढ़ापन आ जाता है, पीठ में भी विकृति आ जाती है और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे टी.बी., दमा, आँखों में जलन, चर्मरोग, सांस रोग आदि का शिकार बन जाती है।
- मानसिक प्रभाव :— जब बालिका अपने खेलने, कूदने, विद्यालय जाने के समय को कार्य करने में व्यतीत करती है तो उसका बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
- शैक्षणिक स्तर पर प्रभाव :— बालिका बाल श्रमिक जब अल्पायु में ही कार्य करने लग जाती है। उसकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक परिस्थितियाँ भी प्रभावित होती हैं क्योंकि ना तो वह विद्यालय जा पाती हैं और न ही वह अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं।
- सामाजिक प्रभाव :— जब बालिका गरीबी एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु घर व समाज में रहने की अपेक्षा बाहर कार्य करती हैं तो समाज की मुख्यधारा से वंचित हो जाती हैं।

- बालिका श्रमिकों से दुर्व्यवहार :— बालिका श्रमिक कई बार नियोक्ताओं के द्वारा दुर्व्यवहार की भी शिकार होती हैं। नियोक्ताओं द्वारा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कम मजदूरी पर अधिक समय तक कार्य कराया जाता है।
- विस्थापन एवं असुरक्षित प्रवास :— बालिका श्रमिकों को कई बार अपने निवास स्थान से दूसरी जगह कार्य करने हेतु भेज दिया जाता है। नियोक्ता या ठेकेदार परिवार के लोगों को उसके अच्छे भविष्य का भी प्रलोभन देता है, ऐसी परिस्थितियों में घर से दूर अकेली बालिका श्रमिक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विकास की बुनियाद वहाँ की आधी आबादी अर्थात् स्त्रियाँ होती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक जन-जागरूकता के माध्यम से लैंगिक भेदभाव और लड़कियों के प्रति कुंठित सामाजिक मानसिकता को समाप्त किया जाए।

बालिका बालश्रम उन्मूलन हेतु रणनीतियाँ –

बालिका बालश्रम के उन्मूलन हेतु सरकार एवं समाज को प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है।

- कठोर निगरानी एवं कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करना :— बालिका बालश्रम के उन्मूलन हेतु कठोर कानूनों के निर्माण एवं उनके अनुपालना को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि बालिका बालश्रमिक ऐसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं जहाँ उनकी पहचान करना कठिन होता है, इसलिए उन पर कठोर निगरानी की आवश्यकता है।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना :— बालिका बाल श्रमिक के उन्मूलन हेतु बालिकाओं से उपेक्षित व्यवहार एवं लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाना आवश्यक है। इसके लिए लड़कियों के प्रति न केवल समाज एवं परिवार की सदियों से चली आ रही कुत्सित मानसिकता को बदलना होगा, वरन बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर की गारंटी एवं उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा।

- आर्थिक सहायता व सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना :- यद्यपि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2010 से ही अस्तित्व में है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की दशा शोचनीय है।
- सघन जागरूकता अभियान :- बालिका बाल श्रम उन्मूलन हेतु समाज में विभिन्न माध्यमों से जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। चाहे वे नारा लेखन, पोस्टर, कहानी, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, अथवा सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी द्वारा संदेशों के माध्यम से हों।
- गैर सरकारी संगठनों की भूमिका :- बालिका बालश्रम उन्मूलन में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संगठन विभिन्न स्तरों पर न केवल बालिका बालश्रम उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, वरन बालिका श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों, प्रावधानों, आदि के साथ बालिका श्रमिकों के शिक्षण व पुनर्वास में भी सुहयोग प्रदान करते हैं।
- अनिवार्य शिक्षा का अधिकार :- बालिका बाल श्रमिक को यद्यपि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है किन्तु कार्य करने के अतिरिक्त वह विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती हैं। अतः उनकी पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक एवं औद्योगिक समुदाय की भागीदारी :- बालिका बाल श्रमिक उन्मूलन में व्यावसायिक एवं औद्योगिक घरानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है यदि ये सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की पालना स्वाभाविक रूप से करें, एवं कार्यस्थलों पर मानवीय एवं नैतिक मापदण्ड अपनाएँ और 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को कार्य पर नहीं रखें तो बालिका श्रम उन्मूलन में काफी सहायता मिल सकती है।
- समाज की भूमिका :- बालिका बाल श्रम उन्मूलन में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की भी अहम भूमिका है, जैसे यदि उन्हें बालिका बाल श्रमिक कार्य करते हुए दिखें तो प्रशासन को तुरन्त सूचित कर शिकायत करें। समाज के धनवान व्यक्ति भामाशाह के रूप में आगे आएँ और बालिकाओं से सम्बन्धित संस्थाओं को न केवल खुले दिल से दान दें, वरन उनकी देखरेख की भी जिम्मेदारी का निर्वाह करें।

बालिका बालश्रम से जुड़ी संस्थाएँ –

यद्यपि राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ बालक एवं बालिकाओं के हितों हेतु समर्पित होकर कार्य कर रही हैं, इन संस्थाओं के सहायनीय प्रयासों के कारण ही बड़े पैमाने पर बालिका बाल श्रमिकों को न केवल पुनर्वासित किया गया है, वरन् उन्हें शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएँ इस प्रकार हैं :-

- बचपन बचाओ आंदोलन :- इस संस्था के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं, इनका कार्यक्षेत्र बालिका व बालश्रम के विरुद्ध अभियान चलाना, बाल तस्करी एवं बालिका शोषण के विरुद्ध कार्य करना है।
- स्माइल फाउंडेशन :- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं गरीब बालिकाओं के संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान करना है।
- क्राई, चाइल्ड राइट्स एण्ड यू :- बालक एवं बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु इस संस्था के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिनमें बालिका संरक्षण, नीति सुधार, सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना प्रमुख है।
- इण्डिया एक्शन एण्ड इण्डिया :- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बालिका बालश्रम रोकने हेतु सामुदायिक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों को साकार रूप देना है।
- केयर इण्डिया :- यह संस्था बालिका सशक्तीकरण एवं उनके विकास हेतु कार्य करती है। यह संस्था बालिका श्रम उन्मूलन हेतु परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कार्यरत है।
- चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन चाइल्डलाइन 1098 :- यह संस्था संकटग्रस्त बालिकाओं की आपातकालीन परिस्थितियों हेतु चौबीस घंटे तत्पर रहती है। विशेषकर बालश्रम से मुक्त बालिकाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु तत्काल कार्य करती है।

निष्कर्ष –

बालिका बालश्रम एक गंभीर चुनौती है। यह श्रम प्रायः घरेलू एवं असंगठित क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाने के साथ छुपा हुआ भी रहता है। बालिका बालश्रम विकास, समानता और न्याय के आदर्शों के विरुद्ध है। जो न केवल परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध करता है, वरन्

बालिका को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के अवसर से भी वंचित करता है। बालिका बालश्रमिक की समस्या विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक असमानताओं के विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई है। बालिका बाल श्रमिक प्रायः परिवार, समाज और कार्यस्थल तीनों ही जगह उत्पीड़न व शोषण का शिकार होती है। साथ ही उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब देश में लैंगिक असमानता समाप्त होकर उन्हें बालक के समान ही सुरक्षा, सम्मान एवं अवसर प्राप्त होंगे, उनके भी भविष्य हेतु समाज व राष्ट्र चिंतित होंगे और जब देश बालिका श्रम मुक्त राष्ट्र होगा, तभी वह राष्ट्र सशक्त, समृद्ध व समतामूलक राष्ट्र बन सकेगा।

संदर्भ सूची –

1. अग्निहोत्री, प्रशान्त (2002) : काम के बोझ तले दबा बचपन : कारण एवं निवारण, योजना प्रकाशन, 46
2. अमीन, एस. तथा एल, जुबेर ए. (2003) : चिल्ड्रन राइट्स एण्ड जेन्डर इन साउथ एशिया कान्टैक्स्ट एण्ड चैलेन्जेस, ढाका बी.आर.ए.सी. यूनिवर्सिटी
3. एटकिन, एस. (1993) : वाइस फ्रॉम द फील्ड, चिल्ड्रन आफ माइग्रेट, फार्म वर्क्स टेल देयर स्टोरिज, बोस्टन, लिटल ब्राउन कम्पनी।
4. कुमार, एस. (1995) : जेंडर इसूज एण्ड क्वालिटी आफ वर्क लाईफ (लेख) लेबर एण्ड डेवलेपमेन्ट खण्ड, I, संख्या I
5. कुमार, डी. (2015) : मानवाधिकार और बालश्रम एक तुलनात्मक अध्ययन, चैन्नई सत्य प्रकाशन।
6. खातू, के.के. (1983) : वर्किंग चिल्ड्रन इन इण्डिया, 1983, ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा।
7. दत्ता, सोमदत्त, किशोर (2001) : चाइल्ड लेबर इन इण्डिया : ट्रेकिंग द रूट आफ द प्रॉब्लम, इण्डियन एसोसियेशन आफ सोशल साइंस इन्स्टीट्यूट।